



# मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्ठन मार्केट, भोपाल-462 016

फोन नं.: 0755-2430154, 2464643, फैक्स नं.: 2981055

ई-मेल - [secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in), वेबसाइट - [www.mperc.in](http://www.mperc.in)

क्रमांक: /विनिआ/आर ई/2021/570

भोपाल, दिनांक: 28 /05/2021

## सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक : 19/2021)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा "मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आरजी-35 (II) वर्ष 2015) दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को अधिसूचित किया गया जिसका प्रकाशन दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के राजपत्र में किया गया था। आयोग द्वारा इन विनियमों में तृतीय संशोधन दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को अधिसूचित किया जिनका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 27 नवम्बर 2020 को प्रकाशित हुआ।

एम.पी.आई.डी.सी.लि., क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर (पूर्व में एम.पी.ए.के.वी.एन. लिमिटेड) पहली मंजिल, अतुल्य आई.टी. पार्क, क्रिस्टल आई.टी. पार्क, के पास, खण्डवा रोड, इन्दौर - 452007 (जिसे आगे "याचिकाकर्ता" या "एम.पी.आई.डी.सी." के रूप में संबोधित किया गया है), कंपनी अधिनियम, 1956 अंतर्गत एक कंपनी के रूप में निगमित है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत मध्यप्रदेश के एस.ई.जेड. क्षेत्र पीथमपुर के क्षेत्र अंतर्गत बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए डीम्ड लाइसेंस धारक है।

याचिकाकर्ता ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 की सकल राजस्व आवश्यकता की पूर्ति तथा दर निर्धारण के लिए 30.03.2021 को याचिका दायर की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विद्युत के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति हेतु समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा दर प्रस्ताव का सारांश निम्नांकित है:-

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा आपूर्ति विद्युत दर याचिका का सारांश

अनु. क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा आपूर्ति विद्युत दर याचिका (अनुमान) (रूपये करोड़ में)
1	विद्युत क्रय की लागत	165.46
2	अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	13.40
3	राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	0.04
4	कर्मचारी व्यय	3.61
5	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	2.07
6	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	2.11
7	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग फीस	0.02

अनु. क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा आपूर्ति विद्युत दर याचिका (अनुमान) (रूपये करोड़ में)
8	अवमूल्यन	1.68
9	ब्याज एवं वित्त प्रभार	1.44
10	लीज रेन्ट व्यय	2.19
11	अंशपूजी पर प्रतिलाभ	1.13
12	संदिग्ध ऋण	0.97
13	कुल व्यय	<b>194.11</b>
14	घटायें: अन्य आय	0.03
15	<b>सकल राजस्व आवश्यकता</b>	<b>194.08</b>
16	अनुमोदित टैरिफ पर बिजली की बिक्री से राजस्व	<b>193.53*</b>
17	अनुमोदित टैरिफ पर राजस्व की कमी (15-16)	<b>0.55</b>

\* मौजूदा टैरिफ पर याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित राजस्व

चूंकि राजस्व अंतर कम है, अतः याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान खुदरा टैरिफ दर , जो आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित की गई थीं , को यथावत रखने का प्रस्ताव दिया है।

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) एवं दर प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी/सुझाव/आपत्ति तीन प्रतियों में सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462 016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक **14.06.2021** तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये । आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की प्रतियां ई-मेल के द्वारा भी [secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in) पर दिनांक **14.06.2021** तक प्रेषित की जा सकती है, । दिनांक **14.06.2021** के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टिप्पणियों/ सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

याचिका की प्रति इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक **01.06.2021** से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा एम.पी.आई.डी.सी.लि., क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर (पूर्व में एम.पी.ए.के.वी.एन. लिमिटेड) पहली मंजिल, अतुल्य आई.टी. पार्क, क्रिस्टल आई.टी. पार्क के पास, खण्डवा रोड़, इन्दौर-452007 से एक प्रति के लिये रूपये 200/- के नकद भुगतान या डिमाण्ड ड्राफ्ट देय “**एम.पी.आई.डी.सी.(आई.) लिमिटेड**” के पक्ष में तैयार कर प्राप्त की जा सकती है । याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100/- के अतिरिक्त भुगतान पर भी प्राप्त की जा सकती है । याचिका की प्रति नियामक आयोग की वेबसाइट [www.mperc.in](http://www.mperc.in) तथा याचिकाकर्ता की वेबसाइट [invest.mp.gov.in](http://invest.mp.gov.in) पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है ।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक **15.06.2021** को प्रातः 11बजे किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में टीप/आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई डी आयोग को भेजकर, उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध गाईड लाइन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार  
सचिव